राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्याः - 1534/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
मोहम्मद आरिफ जामा मस्जिद के पास] धोबी मोहल्ला] मालपुरा] टौंक , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, राज0 सरकार, जयपुर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री पुंकेश शर्मा, उप शासन सचिव एवं श्री संजय पारीक अनुभागाधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 06-06-2017 के द्वारा राज्य कर्मचारी के रक्तदान करने के बाबत राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 16-09-1965 के संबंध में नवीनतम आदेश/सर्कुलर नियम आदि की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने सूचना का आवेदन मुख्य सचिव कार्यालय को किया था जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग को अन्तरित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यूओ नोट दिनांक 21-06-2017 से अवगत कराया है कि वांछित सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण एवं अस्पष्ट होने से सूचना की परिभाषा में नहीं आने से देय नहीं है। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 08-09-2017 से सूचना को अदेय माना है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 04-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ यूओ नोट दिनांक 6-6-2017, 21-6-2017, प्रथम अपील निर्णय 08-09-2017 की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है कि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी का यह कहना कि सूचना प्रश्नात्मक है तथा अस्पष्ट है स्वीकार्य नहीं है। प्रत्यर्थी का विनिश्चय व प्रथम अपील निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन गुरप-2 विभाग, सचिवालय जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि निर्णय प्राप्त के 21 दिवस में अपीलार्थी को सूचना/ विनिश्चय अभिलेखानुसार निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से अधिप्रमाणित व हस्ताक्षरित कर प्रेषित की जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन ग्रुप-2 विभाग, जयपुर को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त